हिलेनब्रैंड, इंक. (Hillenbrand, Inc.) और सहायक कंपनियाँ

वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी
नीति वक्तव्य और अनुपालन गाइड

अपनी सभी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से "कंपनी" के रूप में संदर्भित) सहित हिलेनब्रैंड, इंक. (Hillenbrand, Inc.), दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुचित या अनैतिक भुगतान सहित भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए एक कॉर्पोरेट नीति अनुरक्षित करता है। हमारे पिछले अनुपालन प्रयासों के अलावा, कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट (यथा संशोधित, "एफ़सीपीए") और यू के रिश्वतखोरी अधिनियम 2010 ("यू के रिश्वतखोरी अधिनियम") के प्रावधानों पर विशेष ध्यान देने के साथ इस वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी नीति वक्तव्य और अनुपालन गाइड ("नीति") को अपनाया है। हमारा नीति वक्तव्य है:

कंपनी का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट, कंपनी के लिए अनुचित लाभ हासिल करने के प्रयोजन से, कोई भुगतान या मूल्य का कोई उपहार, प्रस्तावित या वादा नहीं करेगा, या नहीं देगा या सुगम नहीं बनाएगा – अथवा किसी व्यक्ति से, जिसमें कोई विदेशी सरकारी अधिकारी शामिल हैं, किन्तु यहीं तक ही सीमित नहीं है, मूल्य का कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, कंपनी का हर अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट कंपनी की नीति और संघीय कानून द्वारा बहीयाँ, रिकॉर्ड और खातों को रखने के लिए बाध्य है जो कंपनी के संपत्ति के सभी लेन-देन और किसी भी प्रबन्ध को परिशुद्धता और निष्पक्षता से प्रतिबिंबित करता हो।

यह नीति कंपनी की नैतिक व्यापार आचरण संहिता ("आचरण संहिता") को पूरक करने के इरादे से है, जिसे संदर्भ द्वारा शामिल किया जाता है। आचरण संहिता उपहारों, रिश्वतखोरी, रिकार्ड-कीपिंग और लागू कानून के अनुपालन के बारे में प्रावधानों सहित, इस नीति में संबोधन किए गए के समान ही आचरण को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों से युक्त है।

यह नीति दुनिया में कहीं भी, कंपनी के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों (तीसरे पक्ष के प्रतिनिधियों सहित) पर लागू होती है। इस नीति का अनुपालन अनिवार्य है। कंपनी के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट को इस नीति के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का प्राधिकार नहीं है, या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट द्वारा इसका उल्लंघन, प्राधिकृत, निदेशित या क्षमा करने का अधिकार नहीं है।

एफ़सीपीए और यू के रिश्वतखोरी अधिनियम के अलावा, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को गैरकानूनी बनाने वाले अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिन्हें कंपनी और इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को अवश्य पालन करना चाहिए। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को ऐसे कानूनों के बारे में पता होना और इनका पालन करना चाहिए और इस नीति और कंपनी की आचरण संहिता में निर्धारित मानकों के अनुपालन में हर समय स्वयं आचरण करना चाहिए।

यू.एस. फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट

अनुप्रयोग। एफ़सीपीए आम तौर पर सभी अमेरिकी कॉर्पोरेशनों, भागीदारी और अन्य व्यापार संगठनों, और साथ ही उनकी विदेशी सहायक कंपनियों और उनकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। एफ़सीपीए किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में होने के समय एफ़सीपीए का उल्लंघन करता है।

अनुचित भुगतान प्रावधान। एफ़सीपीए व्यापार या कंपनी के लिए किसी भी अन्य लाभ को प्राप्त करने या बनाए रखने में सहायता के लिए किसी अधिकारी को प्रभावित करने के प्रयोजन से उस विदेशी अधिकारी को किसी भी भुगतान या प्रस्ताव पर प्रतिबंध लगाता है।

किसी "विदेशी अधिकारी" में किसी विदेशी सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी (रैंक की परवाह किए बिना), सरकार के स्वामित्व वाले या सरकार के नियंत्रण वाले व्यवसायों के कर्मचारी, विदेशी राजनीतिक पार्टियाँ, पार्टी के अधिकारी, राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवार और सार्वजनिक अंतराराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी (जैसेकि संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक) शामिल हैं। इस बारे में किसी संदेह कि क्या कोई विशेष व्यक्ति कोई सरकारी अधिकारी है या नहीं का हल यह मानते हुए किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति एफ़सीपीए प्रयोजनों के लिए एक सरकारी अधिकारी है।

"व्यापार या कोई अन्य लाभ प्राप्त करना या बनाए रखना" में, उदाहरण के लिए, करों में कमी, विनियमों में कोई अनुकूल परिवर्तन, स्थानीय नियमों के गैर-अनुपालन की सहिष्णुता या अन्य एहसान या अधिमान्य व्यवहार शामिल हैं। एफ़सीपीए के लागू होने के लिए प्राप्त किया या बनाए रखा जाने वाला व्यापार जरूरी नहीं कि किसी विदेशी सरकार या विदेशी सरकार के साधन के साथ हो।

एफ़सीपीए के तहत किसी "भुगतान" में मोटे तौर पर न केवल पैसे का वास्तविक भुगतान, बल्कि पैसे के भुगतान का कोई प्रस्ताव, वादा या प्राधिकरण, और साथ ही प्रस्ताव, उपहार, "मूल्य की कोई चीज" देने का कोई वादा या प्राधिकार भी शामिल है। "मूल्य की कोई चीज" में न केवल नकद या नकद के समकक्ष, बल्कि उपहार, मनोरंजन, यात्रा व्यय, आवास और मूर्त या अमूर्त मूल्य की कोई चीज भी शामिल हो सकती हैं।

एफ़सीपीए न केवल भुगतानों या भुगतान करने के प्रस्तावों पर, बल्कि किसी कार्य या घटना पर भी लागू होता है जो किसी विदेशी अधिकारी को किसी भुगतान "को प्रोत्साहित करने में" है। यहाँ तक कि यदि कोई अनुचित भुगतान पूर्णता तक नहीं पहुँचता है, तो भी इसे प्रस्तावित करना मात्र ही एफ़सीपीए का उल्लंघन है। इसी तरह, कंपनी की ओर से किसी तीसरे पक्ष को किसी निषिद्ध भुगतान को करने के लिए निर्देश देना, अधिकृत करना या अनुमति देना, या तथ्य के बाद किसी भुगतान की पुष्टि करना, या किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करना जो कि जानते हैं या जानने का कारण है कि इसे संभवतः किसी सरकारी अधिकारी को दिया जाएगा, एफ़सीपीए का उल्लंघन है ।

रिकार्ड कीपिंग की आवश्यकताएँ। एफ़सीपीए, अनुचित भुगतान के अपने प्रावधानों के अलावा, कंपनियों पर कुछ लेखांकन आवश्यकताएँ भी अधिरोपित करता है। विशेष रूप से, एफ़सीपीए आवश्यक बनाता है कि कंपनी, बहीयाँ, रिकॉर्ड और खाते अनुरक्षित करे जो, उचित विस्तार से, उस कंपनी के लेनदेन और प्रबन्धों को परिशुद्धता से प्रतिबिम्बित करते हों। इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, यह अनिवार्य है कि कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी और एजेंट कंपनी की ओर से किए गए सभी लेनदेन के संबंध में पूर्ण और परिशुद्ध रिकॉर्ड अनुरक्षित करें। ये आवश्यकताएँ, किसी भी राशि के लेनदेन पर लागू होती हैं, न कि सिर्फ उस रकम पर जो परंपरागत वित्तीय अर्थों में "सारभूत" होगी। "रिकार्ड" में लेखा, पत्राचार, ज्ञापन, टेप, डिस्क, कागज, किताबें और अन्य दस्तावेजों या किसी भी प्रकार की ट्रांसक्राइब की गई जानकारी सहित व्यापार प्रलेखन के वस्तुतः सभी रूप शामिल हैं।

यू के रिश्वतखोरी अधिनियम 2010

अनुप्रयोग। यू के रिश्वतखोरी अधिनियम न केवल यू.के के नागरिकों, निवासियों और कंपनियों पर, बल्कि यू.के में कारोबार कर रही गैर-यू.के कंपनियों पर भी लागू होता है। कोई कंपनी इसके कर्मचारियों या अन्य सहबद्ध व्यक्तियों द्वारा इसके लाभ के लिए किए गए उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है भले ही उन्हें प्रासंगिक कार्रवाई का ज्ञान नहीं हो। यू के रिश्वतखोरी अधिनियम का व्यापक क्षेत्राधिकार है, क्योंकि किसी प्रासंगिक व्यक्ति या कंपनी पर अधिनियम के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है यहाँ तक कि यदि उल्लंघन यू.के के बाहर घटित हुआ हो।

निषेध का विस्तार। एफ़सीपीए की तरह, यू के रिश्वतखोरी अधिनियम विदेशी अधिकारियों को अनुचित भुगतान पर प्रतिबंध लगाता है। हालाँकि, एफ़सीपीए की तुलना में यू के रिश्वतखोरी अधिनियम अधिक विस्तीर्णता से पहुँचता है, क्योंकि यह अनुचित तरीके से कुछ कार्यों के लिए प्रेरित करने के इरादे से गैर-सरकारी व्यक्तियों और सत्त्वों को भुगतानों को प्रस्तावित, भुगतान, या प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, अपने भीतर घूसखोरी को रोकने की वाणिज्यिक उद्यम की विफलता के लिए अधिनियम एक सख्त दायित्व अपराध बनाता है। अधिनियम के तहत, वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को व्यक्तिगत सिविल कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और जहाँ वे विशेष रूप से दोषी हैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से दंडित किए जा सकते हैं।

अनुपालन के लिए दिशानिर्देश

एफसीपीए, यू के रिश्वतखोरी अधिनियम या इसी तरह के अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणाम किसी भी व्यापार और इसके कर्मचारियों के लिए संभावितरूप से विनाशकारी हैं। कंपनी के किसी कर्मचारी, अधिकारी या एजेंट द्वारा उल्लंघन के परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ करोड़ों डॉलर के जुर्माने हो सकते हैं, और उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अभियोजन, आपराधिक जुर्माने और कैद, और साथ ही बर्खास्तगी सहित कंपनी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई, के अधीन हो सकता है। यू के रिश्वतखोरी अधिनियम के तहत, कॉर्पोरेट सत्त्वों को असीमित जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है, और व्यक्तियों को दस साल तक की जेल की सजा, और/या असीमित जुर्मानों, का सामना करना पड़ सकता है, इस प्रकार के उल्लंघनों लिए व्यक्तियों पर लगाए गए जुर्माने और दंड आम तौर पर किन्हीं भी कॉर्पोरेशनों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगतान नहीं किए जाएँगे जिनके लिए उन्होंने कार्य किया होगा। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के वास्तविक और अर्थ लगाए गए उल्लंघन भी कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं।

तदनुसार, हमने वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के अनुपालन के लिए दिशा-निर्देशों को विकसित किया है। इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन इस तरह के कानूनों का पूर्ण अनुपालन, और साथ ही दुनिया भर में व्यापार लेनदेन में वैध और नैतिक व्यवहार को बनाए रखने में हमारे रिकॉर्ड की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

सामान्य नियम। कंपनी के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों के लिए निम्नलिखित नियम स्थापित किए गए हैं:

- किसी भी व्यक्ति को किसी भुगतान या मूल्य की किसी चीज के किसी उपहार का प्रस्ताव या वादा नहीं किया जा सकता है – जिसमें विदेशी अधिकारी (रैंक की परवाह किए बिना) शामिल है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं है – जब कि यह जानते हों या इस बात की एक उच्च संभावना के बारे अवगत हों कि इस तरह के भुगतान या उपहार का समस्त या एक हिस्सा कंपनी के लिए किसी अनुचित लाभ को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है या जाएगा। कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी और एजेंट जो विदेशी अधिकारियों को कोई भुगतान या उपहार देने पर

विचार करते हैं उन्हें पहले कंपनी के कानूनी विभाग से परामर्श अवश्य करना चाहिए, जो कुछ भुगतान या उपहार अनुमोदित कर सकता है। ऐसे उचित-रूप-से-अनुमोदित दिए गए भुगतान या उपहार अथवा किए गए खर्चों को रसीदों, चालानों, चेकों, वक्तव्यों या इसी तरह के अन्य माध्यमों द्वारा प्रलेखित अवश्य किया जाना चाहिए।

- जब तक ऐसा भुगतान या उपहार कंपनी की आचरण संहिता के लागू प्रावधानों के सख्ती से अनुरूप न हो तब तक कोई भुगतान या मूल्य की किसी चीज का उपहार स्वीकार या प्राप्त नहीं किया जाएगा ।
- व्यापक रूप से इस नीति, एफ़सीपीए और यू के रिश्वतखोरी अधिनियम और कंपनी की किसी भी अन्य नीतियों के अनुपालन को दिखाने के लिए पर्याप्त पूर्ण और परिशुद्ध रिकॉर्ड, हर समय अवश्य बनाए रखा जाना चाहिए।

रेड फ्लैग । कुछ स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जो किसी भ्रष्टाचार के जोखिम का संकेत करती हैं। कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को कुछ "रेड फ्लैग" के बारे में विशेष रूप से अवगत होना चाहिए, जो कि इस बात की चेतावनी के संकेत भेजने वाले तथ्य या परिस्थितियाँ हैं कि उल्लंघन की संभावना मौजूद है। यह उस कर्मचारी, अधिकारी या एजेंट की जिम्मेदारी है जो किसी रेड फ्लैग का अवलोकन करता है कि या तो आगे जाँच पड़ताल से मामले को हल करे या इसे कंपनी के कानूनी विभाग को संदर्भित करे। निम्नलिखित रेड फ्लैग लेनदेन के प्रकारों की केवल एक प्रतिनिधिक सूची है जो किसी संभावित उल्लंघन का सुझाव दे सकती है। कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को संकेतों के प्रति हमेशा सतर्क होना चाहिए कि कोई लेन-देन "गलत" है।

- *"सामान्य" से अधिक भुगतान।* ये पाने वालों के शुल्क, एजेंटों के शुल्क या माल अथवा सेवाओं के लिए भुगतान हो सकते हैं जो सामान्य या प्रथागत की तुलना में उच्चतर हो सकते हैं।
- *तीसरे पक्ष को भुगतान।* इनमें व्यक्तियों, खातों या देशों के लिए किए गए भुगतान या भुगतान करने हेतु किए गए अनुरोध शामिल हैं जो लेन-देन के सामान्य दायरे से बाहर हैं। इस तरह के भुगतान करने के लिए उचित स्पष्टीकरण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के भुगतान किए जाने से पहले कारणों को प्रलेखित और अनुमोदित अवश्य किया जाना चाहिए।
- *सरलीकरण भुगतान।* ये किसी विदेशी अधिकारी को भुगतान (जो कभी-कभी "ग्रीज" भुगतान कहलाते हैं) हैं जो कुछ क्षेत्राधिकारों के कानूनों या प्रथाओं के अनुसार रिश्वत या अन्यथा अनुचित होना नहीं माने जाते हैं, और यहाँ तक कि एफ़सीपीए और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के तहत भी अनुमत हैं। हालाँकि, जो कि कुछ देशों में और कुछ परिस्थितियों में प्रथागत और कानूनी हैं, तब भी ये भुगतान यू के रिश्वतखोरी अधिनियम द्वारा विशेष रूप निषिद्ध किए जाते हैं, और किसी भी मामले में दायित्व का जोखिम उपस्थित कर सकते हैं।
- *बड़े बोनस।* यद्यपि अन्तर्निहित रूप से अवैध नहीं हैं, तब भी उन बड़े बोनसों की, विशेष रूप से वे जो सफलता-आधारित हैं, सावधान संवीक्षा आवश्यक है क्योंकि ऐसे बोनस का प्राप्तकर्ता बोनस के एक हिस्से को किसी सरकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए प्रलोभित हो सकता है यदि वह व्यक्ति कंपनी के लिए कोई अनुचित लाभ सुरक्षित करने हेतु अपने प्रभाव का उपयोग करने पर सहमत होता है।
- *असमर्थित चालान।* ऐसे चालान जो बोली या भुगतान कि गई कीमतों की तुलना में वितरित या प्राप्त किए गए उत्पादों या सेवाओं के मामले में "पैडेड" या अपर्याप्त रूप से प्रलेखित हैं संकेत हो सकते हैं कि पैसा अनुचित उपयोग के लिए बेईमानी से निकाला जा रहा है। लेखा-परीक्षा चिंता के अलावा, इस तरह के चालान किसी भ्रष्टाचार की समस्या का संकेत हो सकते हैं।
- *मानक चालानों का अभाव।* संक्षिप्त, "अनुकूलित" या गैर-उद्योग मानक चालान अनधिकृत उद्देश्यों के लिए भुगतान को छिपाने या वेष-परिवर्तन के प्रयासों का एक संकेत हो सकते हैं।

- *नए ग्राहकों को दिया गया असामान्य उधार।* नए और अपरिचित ग्राहकों को पूर्व-भुगतान, उधार और नकद अग्रिम के विस्तारों से अवश्य बचा जाना चाहिए। इस तरह की स्थितियाँ कभी-कभी संकेत करती हैं कि किसी आदेश को पूरा करने से पहले पैसा अवश्य किसी स्थानीय अधिकारी या अन्य अनुचित पार्टी के हाथों में अवश्य रखा जाना चाहिए।
- *साख का अभाव।* ऐसे परामर्शदाताओं या अन्य पार्टियों का उपयोग या अनुरोधित उपयोग जिनके पास आवश्यक सेवाओं का निष्पादन करने की क्षमता प्रतीत नहीं होती है, या जिनके कार्यालय या अवस्थितियाँ सेवा प्रस्तावों के साथ फिट नहीं है, किसी अनुचित संबंध का संकेत हो सकता है।

विशेष विचार

स्थानीय पार्टियाँ और एजेंट। क्योंकि किसी कंपनी के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली किसी तीसरी पार्टी के कार्य उस कंपनी को लागू भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के तहत दायित्व के प्रति अरक्षित कर सकते हैं, इसलिए ऐसे एजेंटों और प्रतिनिधियों को प्रतिधारण करने में अत्यधिक सावधानी रखी जानी चाहिए। पाने वाले, ग्राहक, एजेंट, व्यापार भागीदार, ठेकेदार और उपक्रम भागीदार (सामूहिक रूप से, "स्थानीय पार्टियाँ") सभी भ्रष्टाचार की समस्याओं के स्रोत हो सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जाँच करनी चाहिए कि ऐसी कोई भी स्थानीय पार्टी जो कंपनी के साथ और इसकी ओर से व्यापार चलाती हो किसी भी अनुचित व्यवहार में संलग्न होने के इरादे से नहीं है। क्या किसी विशेष स्थानीय पार्टी को संलग्न किया जाए यह निर्धारित करने में, विचार किए जाने वाले कारकों में पार्टी की प्रतिष्ठा और योग्यता, मुआवजे के तरीके और तर्कसंगतता, मालिकों और पार्टी के कर्मचारियों और किसी विदेशी अधिकारी के बीच संबन्ध, यदि कोई हो, किसी गुप्त भागीदार की उपस्थिति या इसका अभाव, पार्टी की अपने आचरण के बारे में कुछ अभिवेदन करने, या कुछ संबन्धों और स्थानीय कानून के तहत संबन्धों की वैधता का खुलासा करने की इच्छा शामिल हैं। उस देश (देशों) के बारे में जिसमें स्थानीय पार्टी संचालन करती है अवगत होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ देशों में भ्रष्टाचार की परंपरा है और, इसलिए, उच्च जोखिम खड़ा करते हैं।

जब स्थानीय पार्टी चुन ली जाए, तब नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी इस स्थानीय पार्टी की कंपनी और इसके उत्पादों को शामिल करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखे।

सरकारी-स्वामित्व-वाले व्यवसाय। कई देशों में जिनमें कंपनी कारोबार करती है सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापार उद्यमों का स्वामित्व लेना या संचालन करना एक आम बात है। जबकि एफ़सीपीए, यू के रिश्वतखोरी अधिनियम और संबंधित कानून विदेशी अधिकारियों के स्वामित्व वाले या उनसे नियंत्रित उद्यमों के साथ वैध व्यापार संबंधों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, तब भी ऐसे किसी उद्यम के साथ ऐसी परिस्थितियों में किसी सम्बद्धता से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी रखी जानी चाहिए जो लागू भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों से अपवंचन का गठन कर सकती हैं।

अभिदान और चंदा। विदेशी अधिकारियों या अन्य इच्छुक पार्टियों की ओर से अनुचित धर्मार्थ अभिदान करना भी कंपनी और इसके कर्मियों के लिए गंभीर परिणाम दे सकता है। किसी भी अवस्था में कंपनी या इसका कोई कर्मचारी, अधिकारी या एजेंट, कंपनी के कानूनी विभाग से पहले अनुमोदन प्राप्त किए बिना, किसी विदेशी अधिकारी या अन्य विदेशी व्यक्ति के कहने पर, अथवा ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध संगठन या उसके करीबी सम्बन्धियों को कोई चंदा या अभिदान भुगतान नहीं करेगा। कंपनी की आचरण संहिता राजनीतिक अभिदान के बारे में अतिरिक्त नियम और प्रतिबंध प्रदान करती है।

प्रशासन और प्रवर्तन

इस नीति की विषय सामग्री के संबंध में आपको हो सकने वाली किसी भी संभावित चिंता को सुलझाने की दिशा में शीघ्र और पूर्ण प्रकटीकरण हमेशा उचित प्रारंभिक कदम है। उन परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, जिनमें करने हेतु सही क्रियाविधि के बारे में आपको प्रश्न हो सकते हों, हिलेनब्रैंड, इंक. (Hillenbrand, Inc.) और इसकी संचालन कर रही कंपनियों में नैतिकता समितियाँ मौजूद हैं। जब किसी विशेष परिस्थिति के बारे में संदेह में हों, तो अपनी कंपनी की नैतिकता समिति के किसी सदस्य, या कंपनी के कानूनी विभाग या अपने प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मानव संसाधन प्रतिनिधि से पूछें। ऐसी घटनाओं के पाए जाने पर, जो इस नीति का उल्लंघन हैं, या हो सकती हैं, उन व्यक्तियों में से किसी को भी तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी घटनाएँ नैतिकता समिति के किसी सदस्य को शामिल करती हों, तो मामले को समिति के अन्य सदस्यों को या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 1-888-469-1534 पर एक टोल फ्री नैतिकता और अनुपालन की संहिता हेल्प लाइन उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो गुमनाम रहना चाहते हैं।

कर्मचारियों, अधिकारियों या एजेंटों को जिन्हें स्वयं नीति के बारे में प्रश्न हों कंपनी के कानूनी विभाग से संपर्क करना चाहिए ।

जिम्मेदारी के उनके संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर करते हुए, कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों से उनकी इस नीति की समझ और इसका अनुपालन के बारे में प्रमाणित करने के लिए कहा जा सकता है। प्रमाणीकरण वक्तव्य में या अन्य तरीकों से सदाशय से प्रकट की गई सभी जानकारियाँ, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए या कानूनी अथवा विनियामक आवश्यकताओं के लिए यथोचित आवश्यक सीमा तक छोड़ कर, गोपनीयता के आधार पर व्यवहार की जाएँगी।

यह नीति भ्रष्टाचार से सम्बन्धित चिंताओं को व्यक्त करने हेतु सहयोगियों के लिए एक अवसर पैदा करने के इरादे से है। यदि उचित हैं, तो चिंताओं की जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सदाशय से ऐसे उल्लंघनों या आरोपों की रिपोर्ट करने वाले किसी भी सहयोगी के विरुद्ध कोई भेदभाव या प्रतिशोध नहीं किया जाएगा।

इस नीति को लागू करने और सहयोगियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के लिए आचरण समितियाँ आवश्यकतानुसार बैठक करेंगी। ऑपरेटिंग कंपनी की नैतिकता समितियाँ प्रत्येक बैठक के बाद तुरन्त हिलेनब्रैंड, इंक. (Hillenbrand, Inc.) नैतिकता समिति को नीति के अनुपालन, सहयोगियों द्वारा किसी भी प्रमाणीकरण वक्तव्य की स्थिति और नीति से संबंधित किसी भी अन्य संबंधित मामले पर रिपोर्ट करेंगी। हिलेनब्रैंड, इंक. (Hillenbrand, Inc.) आचरण समिति के अध्यक्ष, इसके बाद, लेखा-परीक्षा और नामांकन समितियों को नियमित रूप से अद्यतन प्रदान करेंगे।